MRA की राजपत्र The Gazette of India

अधार्मा रण

EXTRAORDINARY

भाग [—खण्ड 1 PART I—Section I प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2008/आश्विम 18, 1930

No. 3621

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2008/ASVINA 18, 1930

विद्युत मंज्ञालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2008

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता को प्रोतसाहित करने के लिए दिशानिर्देश

सं. 11/30/2004-पीजी/ट्रांस---पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश विधुत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक संकल्प के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे और 4 जुलाई, 2007 को संशोधित किए गए थे।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों में एतद्झारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किए जाते हैं :

 अधिकार प्राप्त समिति के कार्य---पैरा 14 को निम्नलिखित के द्वारा बदल दिया गया है :

अधिकार प्राप्त समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे-

- (क) योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं को चिक्कित करना ।
- (ख) बोलियों के भूल्थांकन को सरल बनाना ।
- (ग) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के विकास को -सरल बनाना ।
- 2. परिषण्कृतेतु लाइसँस—पैरा 20 को निम्निशिखित के द्वारा बदल दिया गया है : .

चयनित विकासकर्ता पारेषण लाइसेंस की मंजूरी के लिए, 30 दिन की अवधि के मीतर, बोली मूल्यांकन समिति द्वारा धयन की सिफारिश के साथ उपयुक्त आयोग से संपर्क करेगा । यदि वह 30 दिन के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करता है तो वह अपने चयन के रह होने के लिए उत्तरदायी होगा । अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चयन का रहीकरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल चयनित निजी कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

लोकेश चन्द्र, निर्देशक

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 10th October, 2008

Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

No. 11/30/2004-PG/Trans.—The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified vide Resolution of even number dated 13th April, 2006 and were amended on 4th July, 2007 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following further amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. Functions of the Empowered Committee—Para 14 has been substituted by the following:

The functions of the Empowered Committee will be the following :

- (a) To identify projects to be developed under the Scheme.
- (b) To facilitate evaluation of bids.
- (c) To facilitate development of projects under this Scheme.

License for Transmission—Para 20 has been substituted by the following:

Along with the recommendation of selection by the Bid Evaluation Committee, the selected developer shall approach the Appropriate Commission, within a period of 30 days, for grant of transmission license. If it fails to apply for license within thirty days then it will be liable for cancellation of its selection. Cancellation of selection as provided above will be done by the Empowered Committee only after giving the selected private company an opportunity to be heard.

LOKESH CHANDRA, Director

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2003

मारेषण सेवा हेतु प्रशुरक आधारित प्रतियोगी बोली दिशानिर्देश

सं. 11/30/2004-पीजी/ट्रांस.—पारेषण सेवा हेतु प्रशुलक आधारित प्रतियोगी बोली दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 13 अप्रैल, 2006 के समसंख्यक संकल्प द्वारा अधिसूचित किए गए थे और 4 जुलाई, 2007 को संशोधित किए गए थे।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन किए जाते हैं :

 परिषण प्रभारों की युक्तिसंगतता—पैरा 7.6 को निम्नलिखित के द्वारा बदल दिया गया है ;

> बोलीदाता जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम लेवलाइन्ड प्रशुक्क उद्धृत किया है, को अवार्ड देने के लिए विचार किया जाएगा । यदि दी गई दरें प्रचलित कीमतों के

अनुरूप नहीं होंगी तो मूल्यांकन समिति को सारी मूल्य बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

2. पैरा 12.4 को निम्नलिखित के द्वारा बदल दिया गया है : अधिनियम की धारा 63 की शर्तों के अनुसार प्रशुल्क को अपनाने के लिए बोली पूरुयांकन समिति के प्रमाणीकरण के साथ अंतिम टीएसए समुचित आयोग का अग्रेषित किया जाएगा ।

लोकेश चन्द्र, निदेशक

RESOLUTION

New Delhi, the 10th October, 2008

Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service

No. 11/30/2004-PG/Trans.—The Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Service had been notified vide Resolution of even number dated 13th April, 2006 and were amended on 4th July, 2007 under the provisions of the Electricity Act, 2003.

The following further amendments are hereby made in the above Guidelines:

1. Reasonableness of Transmission Charges-Para 7.6 has been substituted by the following:

The bidder who has quoted the lowest levelised tariff as per evaluation procedure, shall be considered for the award. The Evaluation Committee shall have the right to reject all price bids if the rates quoted are not aligned to the prevailing prices.

2. Para 12.4 has been substituted by the following: The final TSA alongwith the certification by the Bid Evaluation Committee shall be forwarded to the Appropriate Commission for adoption of tariffs in terms of Section 63 of the Act.

LOKESH CHANDRA, Director